**शिक्षा विभाग**
**बिहार सरकार**
**आदेश**

पटना, दिनांक 06/02/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–317/2025–613/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–12767/2021 नीतू शाही बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–31.07.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

***"...I find it proper to direct the Additional Chief Secretary, Education Department to call for the records relating to the result of the petitioner and the respondent no.8 and thereafter provide them opportunity of hearing to place their case so that both the petitioner and the respondent no.8 can produce their respective documents relating to their qualification and thereafter see whether the eligibility criteria as laid down by the NCTE Notification of the year 2010 and subsequently amended in the year, 2011 is fulfilled. He must see that the Central Act cannot be defeated while selecting a teacher, which is in the interest of the students....."***

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–165 दिनांक–14.01.2026 द्वारा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के कार्यालय कक्ष में दिनांक–15.01.2026 को सुनवाई निर्धारित करते हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या–08 को सूचित किया गया।

4. सुनवाई के क्रम में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–08 द्वारा अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज समर्पित किया गया। श्रीमती नीतू शाही द्वारा दावा किया जा रहा है कि विज्ञापन संख्या–210/2010 (34540 कोटि) में श्रीमती सविता कुमारी को उनसे कम अंक प्राप्त होने के बावजुद श्रीमती सविता कमारी का चयन सहायक शिक्षक के रूप में किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–3606 दिनांक–08.10.2025 तथा पत्रांक–4103 दिनांक–17.11.2025 द्वारा प्रस्तुत वाद में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से आयोग के स्तर से दायर प्रतिशपथ पत्र की प्रति की मांग की गई थी। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक–5128/आ० दिनांक–17.12.2025 द्वारा प्रतिशपथ पत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिशपथ पत्र के कंडिका 9 में अंकित किया गया है कि उक्त विज्ञापन के कंडिका 8(iv) में स्पष्ट उल्लेखित है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन देने की तिथि तक निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। साथ ही उक्त प्रतिशपथ पत्र की कंडिका 10 में अंकित किया गया है कि वादी द्वारा समर्पित की गई जाति प्रमाण पत्र दिनांक–10.06.2019 को निर्गत है, जबकि वादी द्वारा आवेदन समर्पित करने की तिथि–22.01.2016 है।

6. उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट है कि वादी श्रीमती नीतू शाही द्वारा ससमय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

7. अतएव वादी श्रीमती शाही के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

Rajendra 5.2.2026

(बी. राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–317 / 2025......613......पटना, दिनांक......06/02/26......

प्रतिलिपिः– 1. Nitu Shahi W/o Sanjay Kumar, R/o Durga Market, Main Road Masaurhi, PS- Masaurhi, District-Patna.

2. Sabita Kumari Wife of Gajendra Singh Resident of Village-Hussain Chak, P.S.-Naubatpur, District-Patna

Rajendra 5.2.2026

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–317 / 2025......613......पटना, दिनांक......06/02/26......

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajendra 5.2.2026

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।